<u>ज्ञापन–पत्र जिसमें उन परिस्थितियों का उल्लेख किया गया है जिनके कारण उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2026) को प्रख्यापित करना आवश्यक समझा गया।</u>

कतिपय अपराधों का शमन और कतिपय दण्ड विचारण का उपशमन करने का उपबंध करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 अधिनियमित है।

उक्त अधिनियम की धारा 9 में इंगित कतिपय केंद्रीय अधिनियमों में से किसी में भी अपराधों के शमन (composition) का प्रावधान नहीं था, अतः उक्त अधिनियम द्वारा केंद्रीय अधिनियमों के अंतर्गत कुछ अपराधों के शमन तथा लंबित विचारणों के उपशमन (abatement) के लिए प्रावधान सम्मिलित किए गए थे। आरम्भ में उक्त शमन और उपशमन की कटऑफ तिथि 1 जनवरी, 1977 तक कि ही थी परंतु माननीय उच्च न्यायालय के अनुरोध पर विभिन संशोधन अधिनियमों द्वारा समय-समय पर उक्त कट ऑफ तिथि में वृद्धि की गई।

माननीय उच्चतम न्यायालय के समक्ष लम्बित रिट याचिका (सिविल) संख्या 295/2012 [S. Rajaseekaran versus Union of India & Ors.] में माननीय न्यायालय के आदेश दिनांक 20 नवम्बर, 2025 में यह टिप्पणी की गयी कि यदि वर्तमान में किसी व्यक्ति द्वारा मोटर यान अधिनियम के अंतर्गत अपराध किया गया है और वह जुर्माना नहीं भरता है, तो एक समय बीत जाने के बाद कार्यवाही स्वतः ही समाप्त (abate) हो जायेगी जिसके परिणामस्वरुप गंभीर यातायात अपराधों के मामलों में अपराधी बिना किसी सजा के बेदाग (साफ) बच निकलता है जो कि अत्यंत गंभीर विषय है। ऐसी परिस्थितियों में, कुछ निवारक उपाय होने चाहिये ताकि यातायात सम्बन्धी अपराधों में लिप्त लोगों, विशेष रूप से युवाओं, पर नियंत्रण बना रहे। माननीय उच्चतम न्यायालय की उक्त टिप्पणी के सम्बन्ध में आयोजित विचार–विमर्श बैठक में यह मत स्थिर किया गया कि यह सुनिश्चित किया जाये कि निम्नलिखित अपराध उपशमित (abate) नहीं होंगे, यथाः–

(i) गैर–शमनीय (non-compoundable) अपराध;

(ii) वे अपराध जिनमें अनिवार्य कारावास का दंड है; और

(iii) वे अपराध जो प्रथम अपराध नहीं हैं, अर्थात वे बाद के (subsequent) अपराध हैं।

उपरोक्त के दृष्टिगत, उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 को अद्यतन किये जाने की आवश्यकता के दृष्टिगत तथा उक्त अधिनियम की धारा 9 का प्रभावी उपयोग करने के लिए उक्त अधिनियम को संशोधित किये जाने का विनिश्चय किया गया।

मा0 मंत्रि–परिषद् द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त विनिश्चय को तुरन्त कार्यान्वित करने के लिए अध्यादेश प्रख्यापित किया जाये।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः श्री राज्यपाल द्वारा दिनाँक 13 मई, 2026 को उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2026) प्रख्यापित किया गया।

योगी आदित्यनाथ
मुख्य मंत्री।

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2026

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 12 सन् 2026)

[उत्तर प्रदेश के राज्यपाल द्वारा ''भारत का संविधान'' के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) के अंतर्गत प्रख्यापित किया गया तथा दिनांक 13 मई, 2026 के उत्तर प्रदेश असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग–2 खण्ड (क) में प्रकाशित हुआ]

(भारत गणराज्य के सतहत्तरवें वर्ष में राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित)

उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अध्यादेश

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं है और राज्यपाल का यह समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियाँ विद्यमान हैं, जिनके कारण उन्हें तुरन्त कार्यवाही करना आवश्यक हो गया है;

अतएव, अब, भारत का संविधान के अनुच्छेद 213 के खण्ड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके, राज्यपाल निम्नलिखित अध्यादेश प्रख्यापित करते हैं:–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अध्यादेश उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) द्वितीय अध्यादेश, 2026 कहा जायेगा।

(2) यह दिनांक 8 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 35 सन् 1979 की धारा 9 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अधिनियम, 1979 की धारा 9 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपखण्ड (एक) में शब्द, अंक और प्रतीक "मोटर यान अधिनियम, 1988 के; या" के स्थान पर शब्द, अंक और प्रतीक "मोटर यान अधिनियम, 1988 के ऐसा अपराध न हो जो गैर—शमनीय हो, अथवा जिसके लिए अनिवार्य कारावास उपबंधित हो, या जो पुनरावृत्ति अपराध की श्रेणी में आता हो; या" रख दिये जायेंगे।

निरसन और व्यावृत्ति

3—(1) उत्तर प्रदेश दण्ड विधि (अपराधों का शमन और विचारणों का उपशमन) (संशोधन) अध्यादेश, 2026 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 9 सन् 2026) एतद्द्वारा निरसित किया जाता है ।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबंधों के अधीन कृत कोई कार्य या की गई कोई कार्यवाही, इस अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के सह प्रत्यर्थी उपबंधों के अधीन कृत या की गयी समझी जायेगी मानो इस अध्यादेश के उपबंध सभी सारवान समयों में प्रवृत्त थे।

पी0एस0यू0पी0—ए0पी0 28 सा0 विधायी—25—7—2026—(936)—1000 प्रतियां—(डी0टी0पी0 / ऑफसेट)।